मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
—::—

क्र0 228 / आर 1703 / 2011 / ब—1 / चार, भोपाल, दिनांक 09 / 03 / 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषयः—आयोजना मद की योजनाओं तथा परियोजनाओं के फार्मुलेशन परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन हेतु व्यवस्था ।

संदर्भः वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 81 / आर.1703 / चार / ब—1 / 2011, दिनांक 18 जनवरी, 2012.

—::—

विषयांतर्गत, 12 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012—2017) हेतु आयोजन मद की योजनाओं में सक्षम वित्तीय समितियों के अनुमोदन के परिप्रेक्ष्य में विभागों द्वारा प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की जाती हैं । उक्त पंचवर्षीय योजना 31 / 03 / 2017 को समाप्त हो रही है । वर्ष 2017—18 से आयोजना एवं आयोजनेत्तर के मध्य विभेदीकरण समाप्त करने का निर्णय लिया जा चुका है । अतः पूर्व निर्देशों को समाप्त करते हुये इस संबंध में नये निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जा रहे हैं । अतः योजना / कार्यक्रम 31 / 03 / 2017 तक पूर्ण न होने को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देश प्रसारित किये जाते हैं, कि आगामी निर्देशों तक कोई भी स्थायी वित्तीय समिति / वित्तीय व्यय समिति / परियोजना परीक्षण समिति की बैठकें आयोजित न की जायें ।

अजीत 9.3.17
(ए.पी.श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क0 229/आर 1703/चार/ब–1/2011 भोपाल, दिनांक 07/03/20

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल , मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल,
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, इंदौर,
4. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल
9. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
10. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय, भोपाल ।
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश ।
12. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग